खबरों में रहे स्टॉक

आनंद राठी वेल्थ

वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में लाभ सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़ा

₹ 3,398.5 पिछला बंद भाव
₹3,553.7 आज का बंद भाव
4.6 % ▲

बीईएमएल

रेल और मेट्रो परियोजनाओं के लिए डीएमआरसीएल के साथ साझेदारी की

₹ 1,586.4 पिछला बंद भाव
₹ 1,602.2 आज का बंद भाव
1.0 % ▲

पर्सिस्टेंट सिस्टम्स

डेटाब्रिक्स एआई से समर्थित व्यापार जोखिम प्रबंधन समाधान पेश किया

₹ 5,373.6 पिछला बंद भाव
₹ 5,472.6 आज का बंद भाव
1.8 % ▲

दिलीप बिल्डकॉन

संयुक्त उद्यम ने ईपीसी मोड में हासिल की 268 करोड़ रुपये की गेड बैराज परियोजना

₹ 425.8 पिछला बंद भाव
₹ 429.8 आज का बंद भाव
1.0 % ▲

एचबीएल इंजीनियरिंग

पटियाला लोको वर्क्स से कवच उपकरण के लिए 84 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला

₹ 719.1 पिछला बंद भाव
₹ 722.4 आज का बंद भाव
0.5 % ▲

टीसीएस के नतीजे उम्मीद से बेहतर

पृष्ठ 1 का शेष

वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में टीसीएस का शुद्ध मुनाफा 12.2 फीसदी बढ़कर 13,718 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान कंपनी की आय वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के मुकाबले 9.6 फीसदी बढ़कर 70,698 करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही की तुलना में कंपनी की आय 5.4 फीसदी बढ़ी है। चौथी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन आय और मुनाफे के मामले में ब्लूमबर्ग के अनुमानों से बेहतर रहा। ब्लूमबर्ग के विश्लेषकों ने 69,019 करोड़ रुपये आय और 13,551 करोड़ रुपये मुनाफे का अनुमान लगाया था। टीसीएस ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 12 अरब डॉलर का अब तक का अपना सबसे ज्यादा कुल अनुबंध मूल्य (टीसीवी) हासिल किया। इस तिमाही में कंपनी को तीन बड़े सौदे मिले। अलग-अलग आकर के सौदों में ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है। उदाहरण के लिए 10 करोड़ डॉलर वाले ग्राहकों की संख्या 2 से बढ़कर 66 हो गई जबकि 5 करोड़ डॉलर वाले ग्राहकों की संख्या बढ़कर 9 से 139 हो गई।

कृत्तिवासन ने बताया कि चौथी तिमाही में पांच मुख्य बातें थीं जिन्होंने सकारात्मक गति दी। पहली बात यह कि चौथी तिमाही लगातार वृद्धि वाली तीसरी तिमाही थी, दूसरी बात यह कि वृद्धि सभी सेगमेंट में हुई और ऐसा लगभग दो साल के अंतराल के बाद हो रहा है। तीसरी अहम बात यह है कि कंपनी ने पूरे संगठन में वेतन वृद्धि की घोषणा की है, चौथी बात हाइपरवॉल्ट कारोबार ने अच्छी प्रगति की है और पांचवां यह कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सेवाओं में भी तेजी आई है। हाइपरवोल्ट ने ओपनएआई, एमएडी, एबीबी तथा अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी की है। कृत्तिवासन ने यह भी कहा कि कंपनी के पुनर्गठन कार्यक्रम से उसके 2 फीसदी कर्मचारी प्रभावित हुए थे, वह पूरा हो चुका है और चौथी तिमाही पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।

सेमाग्लूटाइड जेनरिक दवाओं के बाजार में आने से दिख रहा असर

मौनजारो की बिक्री पर चोट

संकेत कौल
नई दिल्ली, 9 अप्रैल

मधुमेह और वजन घटाने की दवा सेमाग्लूटाइड के कई जेनेरिक संस्करणों के बाजार में दस्तक देने के बाद इसकी प्रतिस्पर्द्धी दवा मौनजारो (टिरजेपेटाइड) की बिक्री मार्च में सुस्त हो गई। बाजार अनुसंधान कंपनी फामरैक के आंकड़ों में यह बात सामने आई है। पिछले महीने सेमाग्लूटाइड के पेटेंट की समय सीमा समाप्त होने के कुछ ही दिनों के भीतर इसके 23 से अधिक संस्करण बाजार में आ गए जिससे मार्च 2026 में इन दवाओं की बिक्री में वृद्धि हुई।

सेमाग्लूटाइड की बिक्री मार्च 2026 में लगभग 23 प्रतिशत बढ़कर 59 करोड़ रुपये हो गई जो फरवरी 2026 में 48 करोड़ रुपये थी। ग्लूकागॉन-लाइक पेप्टाइड (जीएलपी-1) बाजार में भी इसकी हिस्सेदारी पिछले महीने बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया जो फरवरी में 25 प्रतिशत था।

दूसरी तरफ जीएलपी-1 की कुल बिक्री में 64 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ टिरजेपेटाइड का दबदबा अभी भी कायम है मगर मार्च 2026 में इसकी मासिक बिक्री में 15 प्रतिशत की गिरावट आई और यह फरवरी 2026 के 135 करोड़ रुपये से घटकर 114 करोड़ रुपये रह गई। इसका नतीजा यह हुआ कि मौनजारो बनाने वाली कंपनी एली लिली की जीएलपी-1 बाजार में हिस्सेदारी में भारी कमी आई जो फरवरी 2026 के 61 प्रतिशत से गिरकर मार्च में 56 प्रतिशत हो गई।

फामरैक की उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक) शीतल सपले ने कहा, 'ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं के लॉन्च ने जीएलपी-1 बाजार में सेमाग्लूटाइड को और मजबूत बना दिया है। इस अणु के लिए जेनेरिक और नवप्रवर्तक दोनों ही टिरजेपेटाइड की तुलना में कहीं अधिक किफायती हैं।'

हालांकि, जेनेरिक दवाओं की कम कीमत ने सेमाग्लूटाइड खंड में बिक्री मूल्य और इकाई बिक्री के बीच अंतर पैदा कर दिया है क्योंकि जेनेरिक दवाएं 21 मार्च 2026 को ही उतारी थीं इसलिए उन्होंने मार्च में केवल 10 दिनों के लिए ही बिक्री को प्रभावित किया।

सपले ने कहा, 'हालांकि मार्च के सामान्य रुझान (तीन गुना) से पता चलता है कि एक ओर जहां बेची गई इकाइयों की संख्या में लगभग दो गुना वृद्धि हुई वहीं मूल्य में उसी अनुपात में तेजी नहीं दिखी। इसका मुख्य कारण जेनेरिक दवाओं की कीमतों में भारी कटौती थी।'

सपले ने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक संस्करण आने की उम्मीद है जिससे अप्रैल में भी इस खंड में और वृद्धि होने की संभावना है।

बिक्री में रहा शीर्ष स्थान

मौनजारो ने वित्त वर्ष 26 में 923 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ भारत में दवा बिक्री में शीर्ष स्थान हासिल किया। वजन कम करने वाली इलाई लिली की दवा मौनजारो (टिरजेपेटाइड) मार्च 2025 में आने के एक वर्ष के भीतर ही 923 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ वित्त वर्ष 2026 में भारत की सबसे अधिक बिकने वाली दवा बन गई।

फामरैक के आंकड़ों से पता चला है कि मौनजारो ने लंबे समय से बाजार में अग्रणी रही दवाओं जैसे एसके की संक्रामक रोग रोधी दवा ऑगमेंटिन (जिसकी बिक्री 916 करोड़ रुपये रही) और यूएसवी की मधुमेह-रोधी दवा ग्लाइकोमेट (जिसकी बिक्री 898 करोड़ रुपये रही) को पीछे छोड़ते हुए क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर धकेल दिया।

मर्सिडीज-बेंज ने पहली तिमाही में दर्ज की वृद्धि

सोहिनी दास
मुंबई, 9 अप्रैल

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान पिछली तिमाही के मुकाबले वृद्धि दर्ज की है। पश्चिम एशिया संकट, वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और कच्चे माल की बढ़ती लागत जैसी बाधाओं के बावजूद कंपनी ने यह उपलब्धि हासिल की है। कंपनी के टॉप-एंड लग्जरी वाहनों और इलेक्ट्रिक मॉडलों की मांग ने शुरुआती स्तर वाली श्रेणी में दबाव भी कम किया।

कंपनी के आंकड़ों के अनुसार जर्मनी की इस लग्जरी कार विनिर्माता ने साल 2026 की पहली तिमाही के दौरान 5,131 वाहन बेचे। यह संख्या पिछले साल की इसी अवधि में बेचे गए 4,775 वाहनों की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। साथ ही इससे पिछली तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में बेचे गए लगभग 4,800 वाहनों की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है। पहली तिमाही का यह प्रदर्शन मर्सिडीज-बेंज इंडिया के लिए अब तक का किसी वित्त वर्ष का बेहतरीन प्रदर्शन रहा और वित्त वर्ष 26 की बिक्री बढ़कर 19,363 वाहनों तक पहुंच गई।

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संतोष अय्यर ने कहा, 'हम एकमात्र ऐसा लग्जरी ब्रांड हैं जिसने लगातार दो तिमाहियों में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी ने भू-राजनीतिक तनाव, विनिमय दर में गिरावट और दो बार मूल्य वृद्धि के बावजूद बिक्री की संख्या बढ़ाई है। यह दमदार प्रदर्शन मुख्य रूप से मर्सिडीज-बेंज के प्रीमियम मिश्रण से आया है। इसकी टॉप-एंड लग्जरी श्रेणी में मेबैक, एएमजी, एस-क्लास और ईक्यूएस मॉडल शामिल हैं। पहली तिमाही में इस श्रेणी में 25 प्रतिशत और समूचे वित्त वर्ष में 16 प्रतिशत का इजाफा हुआ और इसने कुल बिक्री में 27 प्रतिशत का योगदान किया। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) ने टॉप-एंड वाहनों की कुल बिक्री में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी की। ईक्यूएस एसयूवी मॉडल भारत में कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला लग्जरी ईवी बनकर उभरा।

टाटा संस को सूचीबद्ध कराने ...

पृष्ठ 1 का शेष

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को नीतिगत फैसले के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनबीएफसी के वर्गीकरण के लिए एक संशोधित ढांचा बहुत जल्द जारी किया जाएगा। इससे पहले आरबीआई ने अक्टूबर 2022 में स्केल आधारित नियामकीय ढांचे के तहत एनबीएफसी को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया था ताकि सख्त नियम लागू किए जा सकें।

स्केल आधारित नियम लागू होने के बाद आरबीआई हर साल 15 ऊपरी श्रेणी के एनबीएफसी के नामों की घोषणा करता है। पिछली सूची जनवरी 2025 में जारी की गई थी जिसमें आरबीआई ने कहा था, 'एनबीएफसी की ऊपरी श्रेणी की सूची में टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करना पंजीकरण रद्द करने के उसके आवेदन के परिणाम पर कोई असर नहीं डालेगा जिसकी जांच जारी है।' मल्होत्रा से जब पूछा गया कि इस साल की ऊपरी श्रेणी की सूची कब जारी होगी तो उन्होंने नए ढांचे के बारे में बात की। उम्मीद है कि नया ढांचा यह स्पष्ट करेगा कि टाटा संस को ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा या नहीं। एक सूत्र ने बताया कि इसी स्पष्टता के आधार पर टाटा संस संभवतः सूचीबद्ध होने की दिशा में कोई कदम उठाएगी।

टाटा समूह के भीतर होल्डिंग कंपनी को सूचीबद्ध कराए जाने के मुद्दे पर मतभेद है। टाटा संस ने एक साल से अधिक समय पहले पूरी तरह कर्ज मुक्त होकर अनिवार्य तौर पर सूचीबद्ध होने से छूट मांगी थी। मगर एक सूत्र बताया कि अब इस मुद्दे वह काफी सतर्क दिख रही है। टाटा संस के सबसे बड़े शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स में भी सूचीबद्ध कराए जाने के मुद्दे पर अलग-अलग राय है। टाटा ट्रस्ट्स के उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन ने आज एक बयान में कहा कि उन्होंने टाटा संस को सूचीबद्ध कराने का समर्थन किया था। कुछ अन्य ट्रस्टी भी टाटा संस को सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बताए जा रहे हैं।

QUANTUM MUTUAL FUND
FOR THOUGHTFUL INVESTORS

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited
1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020
Toll Free No.: 1800-209-3863 / 1800-22-3863 **Email:** CustomerCare@QuantumAMC.com
Website: www.QuantumAMC.com **CIN:** U65990MH2005PTC156152

NOTICE NO. 2/2026

Notice

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (the Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2024/90 dated June 27, 2024, the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2026, is hosted on the website of Quantum Asset Management Company Private Limited viz. www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI) viz. www.amfiindia.com.

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Service (SMS) <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone 1800-22-3863/1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

For Quantum Asset Management Company Private Limited
(Investment Manager - Quantum Mutual Fund)
Sd/-
Seemant Shukla
Chief Executive Officer

Place: Mumbai
Date: April 09, 2026

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

NOTICE

SBI MUTUAL FUND
A PARTNER FOR LIFE

Half-Yearly Portfolio of the Schemes of SBI Mutual Fund as on March 31, 2026

Notice is hereby given that in terms of applicable provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, read with SEBI Master Circular for Mutual Funds, the half-yearly portfolio statement as on March 31, 2026 of the schemes of SBI Mutual Fund (the Fund) have been hosted on the website of the Fund viz, www.sbimf.com and on the website of AMFI viz, www.amfiindia.com. Investors may accordingly view / download the portfolio statement from the above-mentioned websites.

Investors can also request for the physical or electronic copy of the statement of schemes portfolio through telephone (contact us on our Toll Free Nos. 1800 209 3333/1800 425 5425), +91-22-62511600 / +91-80-25512131 (outside India) email (customer.delight@sbimf.com) or by submitting written request at the nearest branch of SBI Funds Management Limited (the AMC). The list of branches of the AMC is available on www.sbimf.com.

For SBI Funds Management Limited
Sd/-
Nand Kishore
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : April 09, 2026

Asset Management Company: SBI Funds Management Limited (A Joint Venture between SBI & AMUNDI) (CIN: U65990MH1992PLC065289) **Trustee:** SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd. (CIN : U65991MH2003PTC138496) **Sponsor:** State Bank of India. **Regd Office:** 9th Floor, Crescenzo, C – 38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 **Tel:** 91-022-61793000 • **Fax:** 91-022-67425687 • **E-mail:** partnerforlife@sbimf.com • www.sbimf.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SBIMF/2026/APR/02

ADITYA BIRLA CAPITAL LOANS INVESTMENTS INSURANCE PAYMENTS

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266.
शाखा का पताः तीसरी मंजिल, जीएस–ट्रेड सेंटर, 534–535–536, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर–302021.

परिशिष्ट– IV [सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच विलय योजना दिनांक 11.03.2024 के तहत हुए विलय के परिणामस्वरूप जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण – अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज किया गया है नीचे उल्लिखित बंधक संपत्ति के संबंध में आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू की गई/की जाने वाली सभी सरफेसी कार्रवाइयां, अब विलय की गई कंपनी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित मानी जाएंगी।

अधोहस्ताक्षरी **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड** (इसके बाद "एबीसीएल" कहा जाएगा) के अधिकृत अधिकारी के रूप में, **जिसका शाखा पता है:,** प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27.01.2026 को एक मांग सूचना जारी किया, जिसमें उधारकर्ताओं, अर्थात् **श्रीमती गोली देवी (दिवंगत), उनके कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए, श्री सुनील (पति), सुश्री सीमा (नाबालिग बेटी) सी/ओ श्री सुनील (पिता) मास्टर विशाल (पुत्र) सी/ओ श्री सुनील (पिता) , मास्टर खुशाल (पुत्र) सी/ओ श्री सुनील (पिता) और सुनील** को सूचना में उल्लिखित राशि **रुपये 22,31,618.14 (रुपये बाईस लाख इकतीस हजार छह सौ अठारह और चौदह पैसे मात्र)** उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिये कहा गया था।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **दिनांक 8 अप्रैल, 2026** को वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं विशेष रूप से और आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन–देन आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड द्वारा रुपये 22,31,618.14 (रुपये बाईस लाख इकतीस हजार छह सौ अठारह और चौदह पैसे मात्र) और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह समस्त भाग और अंगः "प्लॉट संख्या–168, खसरा संख्या–108/1, ग्राम नंदारी, जिला जोधपुर, राजस्थान 342015, जिसका क्षेत्रफल 138.88 वर्ग गज है, और जो श्रीमती गोली देवी के स्वामित्व में है," इसके साथ ही उस पर निर्मित/निर्मित होने वाले भवन और संरचनाएं यदि कोई हों, तथा बंधककर्ता के समस्त प्लांट और मशीनरी यदि कोई हों जो भूमि से जुड़े हों या भूमि से जुड़ी किसी वस्तु के साथ स्थायी रूप से जड़े हुए हों। **सीमाएं और सटे हुए भूखंड इस प्रकार हैं:–पूर्व** – 20 फुट की सड़क, **पश्चिम** – भूखंड संख्या–171, उत्तर – भूखंड संख्या–167, **दक्षिण** – भूखंड संख्या–169।

दिनांकः 08/04/2026
स्थानः जोधपुर

अधिकृत अधिकारी
(आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड)

ओमकारा एसेट रिकन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः नं. 9, एम.पी. नगर, पहली गली, कोंगू नगर, एक्सटेंशन, तिरुपुर–641607
कारपोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वेयर, 47वाँ तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई – 400028 फोनः +91 2269231111/8591439533

[परिशिष्ट–IV–ए] [देखें नियम 8(6) का प्रावधान]
अचिल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस

एतद्द्वारा सर्व साधारण और विशेषकर अधोल्लिखित कर्जदार(ओं) और सह–कर्जदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता अर्थात ओमकारा एसेट्स रिकन्सट्रक्शन प्रा. लि. (ओएआरपीएल) के पास बंधक/गिरवी रखा गया है। यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है, और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' (2002 का 54) (सरफासी अधिनियम, 2002") की धारा 3 के तहत एक 'एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी' के रूप में विधिवत पंजीकृत है; इसका सीआईएन नं. U67100TZ2014PTC020363 है, इसका पंजीकृत कार्यालय नं. 9, एम.पी. नगर, पहली गली, कोंगू नगर, एक्सटेंशन, तिरुपुर–641607 स्थित है, और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय– कोहिनूर स्क्वेयर, 47वाँ तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई–400028 स्थित है; यह 'ओमकारा पीएस–26/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत है। इसने एसाइमेंट करार दिनांकित 30.09.2021 के द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पीएचएफएल) (पूर्ववर्ती मैगमा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) से अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ कर्जदार(ओं)/सह–कर्जदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के पूरे बकाया के सभी अधिकार, हक और ब्याज का अधिग्रहण किया है।

साथ ही, प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं) का भौतिक कब्जा प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है और उक्त परिसंपत्ति(ओं) को नीचे उल्लिखित कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं)/बंधककर्ता(ओं) से प्रत्याभूत लेनदार को उल्लिखित बकाया देयों की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तारीख को "जो है, जहाँ है", "जहाँ है, जैसी है" और "जो भी है" और "कोई वापसी नहीं" आधार पर बिक्री किया जायेगा। बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा (ईएमडी) और अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं।

कर्जदार और सह–कर्जदार का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	बकाया राशि रु. में
1. जुगल किशोर सुमन (कर्जदार/बंधककर्ता) और 2. रेणु सुमन (सह–कर्जदार)	फ्लैट नंबर एफ–525, 5वीं मंजिल, गाँव परी रेजिडेंसी, चक हरबंसपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर 302018, क्षेत्रफलः 340 वर्ग फुट मालिकः जुगल किशोर सुमन	**रु. 4,86,032/– दिनांक 31.07.2021 को भुगतान की तारीख तक आगे की अनुबंधित दर से ब्याज और अन्य प्रभार सहित**

मांग नोटिस की तारीखः 30.03.2022 **भौतिक कब्जे की तारीखः** 21.04.2025
आरक्षित मूल्य (रु.): 5,52,000 **ईएमडी(रु.):** 55,200
निरीक्षण की तिथि व समयः 24.04.2026 अप. 1:00 से अप. 2:00 तक
ईएमडी के भुगतान और निविदा प्रपत्र जमा करने की नीलामी तिथिः 07.05.2026 समय अप. 6:00 तक
नीलामी की तिथि व समयः 08.05.2026 समय अप. 03:00 से अप. 05:00 तक
बोली वृद्धि राशिः रु. 10,000

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री के लिए सांविधिक सूचना

यह सूचना उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार(ओं)/सह–कर्जदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त बतायी तारीख व समय पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री आयोजन की जानकारी देने के लिए, लागत और व्ययों सहित उपरोक्तानुसार बकाया देयों के भुगदान द्वारा परिसंपत्तियों को मुक्त कराने यदि ऐसा इच्छित हो, की सलाह सहित पंद्रह (15) दिनी अनिवार्य सूचना भी है। भुगतान में चूक की अवस्था में, संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता के विवेक से प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निमयावली, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत यथानिर्धारित किसी माध्यम से बिक्री की जायेगी।

दिनांकः 09.04.2026
स्थानः मुंबई

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी (श्री प्रभात चंद्र, +91 9221028203)
हिते ओमकारा एसेट्स रिकन्सट्रक्शन प्रा. लि.
(ओमकारा पीएस 26/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी की क्षमता से कार्यरत)

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
प्रधान कार्यालयः एन–2, द्वितीय तल, साउथ एक्सटेंशन–1, नई दिल्ली– 110049
ManiBhavnam Home Finance

"परिशिष्ट–IV–I" (नियम 8(6) के प्रावधान देखें, अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई–नीलामी बिक्री सूचना सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।एतद् द्वारा सामान्य जन को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(ओं) एवं कॉर्पोरेट जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ, जो मणिभावनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) के पक्ष में बंधक/आवेशित हैं तथा जिनका कब्जा मणिभावनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, उन्हें "जैसी है जहाँ है", "जैसी है वैसी है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **07.04.2026** को बिक्री हेतु रखा जाएगा, ताकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(ओं) एवं कॉर्पोरेट जमानतदार(ओं) से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली की जा सके। आरक्षित मूल्य एवं जमा की जाने वाली बयाना राशि (EMD) का विवरण नीचे दिया गया है।

उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता / जमानतदार का नाम व पता	संपत्ति का विवरण एवं स्वामी	आरक्षित मूल्य (आरपी) एवं EMD आरक्षित निधि का 10% मूल्य और वृद्धिशील राशि	डिमांड नोटिस के अनुसार वसूली राशि
1. शिला वैष्णव कुमार LP0000000010952	संपत्ति खसरा नंबर 634/130, अरनियाकला, तसील रामगंजमंडी, कोटा–326519	(RP) 1265863 (EMD) 126586 वृद्धि राशि 10000	रू0 1553884

साइट निरीक्षण की तिथि व समय : 07–05–2026 समयः 10:00 AM
ई–नीलामी की तिथि व समय : 08–05–2026 समयः 10:00 AM

ईएमडी जमा करने का विवरण ईएमडी राशि NEFT/RTGS/ फंड ट्रांसफर के माध्यम से "**मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**" के पक्ष में निम्न बैंक खाते में जमा की जाएगीः बैंक खाता संख्या–1921210422141794 बैंकः एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक **IFSC** कोडः AUBL0002104 शाखाः ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली ईएमडी जमा करने एवं बोली दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम **तिथिः 07.05.2026, दोपहर 12:00** बजे तक वेबसाइटः https://www.bankauctions.com सफल बोलीदाता को अंतिम क्रय मूल्य का 25% (ईएमडी घटाकर) राशि, अगले कार्य दिवस तक RTGS/ NEFT द्वारा मणिभावनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ई–नीलामी खाते में जमा करनी होगी। शेष 75% राशि नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर RTGS/NEFT द्वारा उसी खाते में जमा करनी होगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि, बोली प्रपत्र में उल्लिखित खाते में, 5 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी।नियम एवं शर्तें ई–नीलामी "जैसी है जहाँ है", "जैसी है वैसी है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। नीलामी, मोखिहाना के अनुमोदित सेवा प्रदाता M/s 4 Closure के माध्यम से पोर्टल https:// www.bankauctions.com पर आयोजित होगी। ऑनलाइन नीलामी बिक्री के बोली दस्तावेज, घोषणा पत्र तथा सामान्य नियम एवं शर्तें उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिकृत अधिकारी **राजीव शर्मा (मोबाइलः 9413650003)** के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार (Encumbrance) नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने से पूर्व संपत्तियों के शीर्षक, भार, दावों/अधिकारों/देयों आदि के संबंध में अपनी स्वतंत्र जाँच स्वयं करनी चाहिए। यह ई–नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की गारंटी का गठन नहीं करता।

दिनांकः 10.04.2026
स्थानः कोटा

दिनांकः प्राधिकृत अधिकारी
मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ManiBhavnam Home Finance

कब्जा सूचना [परिशिष्ट IV नियम 8 (1)]

जबकि मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (जिसे आगे "एमबीएचएफ" कहा जाएगा) एमबीएचएफ, जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2021 की अधिसूचना के माध्यम से, "वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रयोजनों के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, एन–2, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–1, नई दिल्ली–110049, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (जिसे इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा जाएगा) के उपबंधों के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता/गारंटर द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा नीचे उल्लिखित तिथि को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन "एमबीएचएफ" के प्रभार और उस पर ब्याज तथा अन्य शुल्क के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्ति को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

आवेदक/सह–आवेदक/गारंटर का नाम और पताः 1. श्रीमती संगीता माथुर (आवेदक) (1) 77–बी, वार्ड नं. 74, शंकर नगर, माउंट रोड, जय दुर्गा स्कूल, ब्रह्मपुरी, जयपुर राज. (302002) (2) प्लॉट नं. 44/76, रजत पथ मानसरोवर, जयपुर राज. (302020) (3) प्लॉट नं. 27, स्कीम गणपति नगर, ग्राम हाजियावाला, तहसील सांगानेर, जिला. जयपुर राज. (302029) 2. श्री पंकज पुत्र श्री भगवान दास (सह–आवेदक) (1) 77–बी, वार्ड नं. 74, शंकर नगर, माउंट रोड, जय दुर्गा स्कूल, ब्रह्मपुरी, जयपुर राज. (302002), (2) श्री श्याम बेकरी, प्लॉट नं. 01, शेखावत नगर, झालाना डूंगरी, केवीएस स्कूल के सामने, जयपुर राज. (302017) (3) प्लॉट नं. 27, स्कीम गणपति नगर, ग्राम हाजियावाला, तहसील सांगानेर, जिला. जयपुर राज. (302029) 3. श्रीमती पुष्पा रानी सिंधी पत्नी श्री भगवान दास (सह–आवेदक/गारंटर) (1) 77–बी, वार्ड नं. 74, शंकर नगर, माउंट रोड, जय दुर्गा स्कूल, ब्रह्मपुरी, जयपुर राज. (302002) (2) प्लॉट नं. 27, स्कीम गणपति नगर, ग्राम हाजियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज. (302029), • मांग नोटिस की तिथिः 22–दिसंबर–2025 • मांग नोटिस की राशिः रु. 51,99,155.26/– (रु. इक्कावन लाख निन्यानवे हजार एक सौ पचपन और छब्बीस पैसे मात्र), दिनांक 20–दिसंबर–2025 तक देय, ऋण सं. HL0000000011205 के तहत, संपत्ति का विवरणः संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय संपत्ति प्लॉट संख्या 27, योजना गणपति नगर, ग्राम हाजियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान कुल क्षेत्रफल 90.00 वर्ग गज स्वामित्वः श्री पंकज, पुत्र श्री भगवान दास, सीमाएँः उत्तर – प्लॉट संख्या 2, 6, दक्षिण – प्लॉट संख्या 28, पूर्व – अन्य का प्लॉट, पश्चिम – 30 फीट चौड़ी सड़क • कब्जे की तिथि : 08.04.2026

दिनांकः 10.04.2026,
स्थानः जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी,
मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लि.

अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
Altum Credo Home Finance
पंजीकृत कार्यालयः फ्लोर नंबर 7, कल्पतरु इनफिनिया, प्लॉट नंबर 22, सब प्लॉट नंबर 3, सीटीएस नंबर 15/1, ग्राम भामुरदा, वाकडेवाड़ी, शिवाजी नगर, पुणे शहर, महाराष्ट्र 411005

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "एसीएचएफएल" कहा जाएगा) के अधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं) को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे निर्धारित अवधि के भीतर राशि चुकाने के लिए कहा गया था।

चूँकि उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए इसके द्वारा उधारकर्ता(ओं) और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) (जिसे उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित) के तहत, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को, सुरक्षित संपत्ति(यों) का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है।

उधारकर्ता(ओं)/सुरक्षित देनदार(ओं) और आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे सुरक्षित संपत्ति(यों) से संबंधित कोई भी लेन–देन न करें, और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन–देन मांग नोटिस में उल्लिखित राशि के लिए एसीएचएफएल के शुल्क के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि गिरवी रखी गई संपत्ति(यों) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

क्र.सं.	ऋणकर्ता का विवरण	एनपीए की तिथि और बकाया राशि	धारा 13(2) की तिथि और कब्जा की तिथि
1	गोवर्धन दास (उधारकर्ता) भगवती बाई (सह–आवेदक) खाता संख्या S171202000046	29–दिसंबर–25 रु. 7,25,718 दिनांक 5–जनवरी–26	6–जनवरी–26 7–अप्रैल–26

संपत्ति का विवरणः– कृषि भूखंड, प्लॉट, आराजी संख्या 235 और 236, ग्राम ओर्डी, पटवार हल्का जलाम्पपुरा, तहसील और जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) 312001, क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट (पटवारी रिपोर्ट के अनुसार)य चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा के भीतर और उप–रजिस्ट्रार, चित्तौड़गढ़ जिले के क्षेत्राधिकार में। **सीमाएंः** – पूर्वः स्वयं की भूमि, पश्चिमः स्वयं की भूमि/सड़क, दक्षिणः स्वयं की भूमि, उत्तरः स्वयं की भूमि।

दिनांकः 10.04.2026
स्थानः चित्तौड़गढ़

हस्ताक्षर/–, अधिकृत अधिकारी
अल्टम क्रेडो होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

जयपुर संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा पृथ्वीस दास, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड 10, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर – 302015 से मुद्रित एवं बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, सी/ओ आरना कोवर्किंग ऐंड बिज़नेस हब, सी–31, प्रथम तल, पंकज सिंघवी मार्ग, लालकोठी, जयपुर – 302005 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. RJHIN/25/A1419 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई–400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं